IN THE COURT OF CIVIL JUDGE (Jr. Div.) / Munsif, LAKHISARAI, BIHAR
Present : Swati Singh, Civil Judge (Jr. Div.)/ Munsif, Lakhisarai

Sri Kamleshwari Prasad Mandal
T. S.: 32/2001 **v/s**
Sri Kapildev Mandal & others

Sr. No.	Dated	Order with initials of the Civil Judge (Jr. Div.)	Remarks
	31.01.2025	वाद आज वादी द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 21.01.2025 की सुनवाई तथा आदेश हेतू लंबित है। वादी के पैरवी है। प्रतिवादी अनुपस्थित है। वाद के बार बार पुकार पर भी प्रतिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। यह उल्लेखनीय है कि प्रतिवादीगण बीती कई तिथियों से अनुपस्थित चला आ रहा है तथा दिनांक 27–01–2025 को प्रतिवादी को उक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल करने से वंचित कर दिया गया है। साथ ही प्रतिवादी को अगली तिथि पर उचित पैरवी करने के आदेश के साथ आवेदन पर सुनवाई हेतु मौखिक बहस करने का अवसर देते हुए, वाद को आज सुनवाई तथा आदेश हेतु रखा गया था, किन्तु आज भी प्रतिवादी की ओर से कोई पैरवी नहीं है और पुकार पर भी कोई उपस्थित नहीं हुआ। यह भी उल्लेखनीय है कि यह वाद माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इंगित 15 साल से पुराने वादों की श्रेणी में तीव्र निष्पादन हेतु निर्देशित वादों में से एक है। जिसके संदर्भ में दोनों पक्षों को समय–समय पर आदेश दिया जाता रहा है। ऐसी स्थिति में आज वादी पक्ष के आवेदन पर वादी के अधिवक्ता को सुना। वादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि यह वाद गवाही हेतु लंबित था और एक समझौता आवेदन की वाजप्ता नकल दाखिल कर उस मूल वाद को परिवार न्यायालय लखीसराय के पास से अभिलेख मंगवाने का आदेश श्रीमान् न्यायालय के द्वारा कई बार हुआ है। इसी बीच श्रीमान् न्यायालय द्वारा वादी की गवाही बंद कर दी गई वादी के द्वारा दाखिल समझौता आवेदन का प्रदर्श किया जाना न्यायहित के लिए आवश्यक है और नहीं होने की स्थिति में वादी को अपार क्षति होगी जिसकी भरपाई संभव नहीं है। वादी के विद्वान अधिवक्ता का आगे मौखिक कथन है कि उन्हें कोई मौखिक साक्ष्य नहीं देना है, परन्तु मात्र यह दस्तावेजी साक्ष्य हेतु वादी साक्ष्य को वापस खोलने की आवश्यकता है। अतः वादी द्वारा यह प्रार्थना की गई कि दिनांक 03–01–2025 के आदेश द्वारा वादी साक्ष्य बंद करने के आदेश को वापस कर वादी का समझौता आवेदन की नकल को प्रदर्श अंकित किया जा सके। सुना अभिलेख का अवलोकन कर यह प्रतीत होता है कि दिनांक–03–01–2025 को वादी पक्ष को कई तिथियों पर लगातार अवसर देने के बाद ही वादी साक्ष्य बंद कर दिया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक–16–01–2019 को एक बार वादी साक्ष्य बंद किया जा चुका था। दिनांक–21–10–2024 के आदेश से भी वादी पक्ष को सभी दस्तावेज प्रदर्श अथवा अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करने के	

Web Copy

IN THE COURT OF CIVIL JUDGE (Jr. Div.) / Munsif, LAKHISARAI, BIHAR
Present : Swati Singh, Civil Judge (Jr. Div.)/ Munsif, Lakhisarai

Sri Kamleshwari Prasad Mandal
T. S.: 32/2001 **v/s**
Sri Kapildev Mandal & others

Sr. No.	Dated	Order with initials of the Civil Judge (Jr. Div.)	Remarks
		निर्देश दिया जा चुका है। वादी के कथनानुसार यदि वादी का किसी अन्य वाद के समझौता आवेदन की सच्ची प्रमाणित प्रतिलिपि को वाद में प्रदर्श अंकित नहीं किये जाने पर अपार क्षति की संभावना है तब ऐसी स्थिति में न्यायहित को देखते हुए वादी को वादी साक्ष्य वापस खोल कर पुनः अवसर दिया जाना, न्यायसंगत प्रतीत होता है। किन्तु साथ ही यह निर्देश दिया जाता है कि वादी अविलम्ब शेष सभी दस्तावेजो को विधि सम्मत प्रदर्श अंकित कराने की प्रकिया करे। उक्त के आलोक में वादी के आवेदन दिनांक–21–01–2025 को 200/– रूपये के खर्च पर, जो प्रतिवादी पक्ष को देय है, स्वीकृत तथा निष्पादित किया जाता है। प्रतिवादी पक्ष की अगली तिथि पर अनुपस्थित रहने की स्थिति में यह खर्च नजारत, सिविल कोर्ट, लखीसराय में नियामानुसार दाखिल कराये। वादी वास्ते दिनांक–.....वादी साक्ष्य हेतु। लेखापित (Swati Singh) Civil Judge (Jr. Div.) / Munsif, Lakhisarai	

Web Copy